छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 19/12/2022

क्रमांक/59/04/योजना/बीओसी/2022/133 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना"** में पूर्व में जारी **अधिसूचना कमांक 36 दिनांक 26/09/2015** को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है –

(क.) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम **"सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना"** होगा।
2. छत्तीसगढ़ राज्य के वे निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे।
3. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उनके अधीन अधिसूचित सभी प्रकार के निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गो में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।
4. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।

(ख.) योजना हेतु पात्रता :–

1. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उनके अधीन अधिसूचित श्रमिक प्रवर्गो को इस योजना का लाभ दिया जावेगा। ऐसे निर्माण श्रमिक जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित प्रवर्ग के हो पंजीकृत नहीं होने पर भी मंडल अंतर्गत अधिसूचित प्रवर्गों में उनका पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

निरंतर..........2

2. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ चिकित्सक/पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक को सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा।

(ग.) योजना में देय हितलाभ :–

1. आर्थिक सहायता:–

योजना के अंतर्गत रूपये 3,00,000/– (अक्षरी तीन लाख रू) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रूपये 1,00,000/–(अक्षरी एक लाख रू) हितग्राही/हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा, तथा रूपये 2,00,000/– (अक्षरी दो लाख रू) एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में **(मासिक आय योजना M.I.S.)** होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।)

2. पुनर्वास सहायता:–

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, बशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों।

(घ.) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, कार्यालय में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जमा किये जा सकेंगे अथवा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय, को भी सूचित किया जा सकता है।

2. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता/पत्नि/पति/नाबालिग पुत्र/पुत्री) द्वारा भी स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन किया जा सकेगा।

3. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे।

निरंतर..................................3

4. **योजना के तहत् ऑफलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–**

4.1 जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हितग्राही मंडल अंतर्गत अधिसूचित प्रवर्ग में पंजीकृत हो तो।)

4.2 सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक का आधार कार्ड (यदि जीवित हो तो) अथवा मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी/आश्रित का आधार कार्ड।

4.3 सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि के संबंध में सक्षम **चिकित्सक (योजना के पात्रता के सरल क्र0 2 अनुसार)** द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

4.4 बैंक पास बुक (हितग्राही के जीवित होने की दशा में) अथवा मृत्यु की दशा में (नॉमिनी/वैध उत्तराधिकारी/आश्रित) का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें संबंधित का नाम, बैंक खाता क्रमांक, व आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित हो) की प्रति।

4.5 सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिक के मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

टीप :– संबंधित सत्यापनकर्ता/जांचकर्ता द्वारा हितग्राही से ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड.) स्वीकृति का अधिकार

1. पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापन उपरांत आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

(च.) आवेदन प्रकरणों का निराकरण :–

1. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 कार्य दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में त्रुटि सुधार कर निरंतरता मे पुनः आवेदन किये जाने का आवेदक को अधिकार होगा।

(छ.) भुगतान की प्रक्रिया :–

1. योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी/डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जावेगा।

निरंतर.................................4

(ज.) विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(झ.) योजना की प्रभावशीलता

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/59/04/योजना/बीओसी/2022/5459-5474 अटल नगर, दिनांक 19/12/2022
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
10. समस्त, सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त, उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।

निरंतर..................................5

12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक -26/9/15

क्रमांक......36........... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) <u>योजना का प्रावधान</u> :–

(i) योजना का नाम "सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गो में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

(स) <u>योजना हेतु आवेदन की प्रकिया</u>

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) हाईजीन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर।

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अथवा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को भी सूचित किया जा सकता है।

(द) योजना हेतु व्यय :–

1. आर्थिक सहायता–

योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रू0 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू0 2.00 लाख एफडी के रूप में देय होगा। एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी)

2. पुर्नवास सहायता–

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के वे योजनाएं जो इन पंजीकृत श्रमिकों पर लागू होंगे, के लिए पात्र होंगे।

(ई) स्वीकृति का अधिकार :–

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(फ) विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

26/9/2015

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर
रायपुर, दिनांक 26/09/2015

पृष्ठांकन क्र. 10167-10173

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.............................. ....(छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

26/9/2015

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर